बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 0612-2231562, बेबसाईट : **www.bsea.bih.nic.in**

सं॰सं॰-नि॰प्रा॰/नि॰ 1-68/2009 -402 /पटना, दिनांक 22 मई, 2009

निदेश

विषय : पैक्स चुनाव, 2009 : शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन कराने हेतु विभिन्न निरोधात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाईयाँ सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्राधिकार द्वारा पैक्स निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र ही की जायेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि विकास एवं साख की महत्वपूर्ण संस्था होने के कारण पैक्स निर्वाचन संवेदनशील हो सकता है तथा चुनाव में धन-बल एवं बाहु-बल के उपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्वाचन क्षेत्र में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि मतदाता विशेषत: कमजोर वर्गो के व्यक्ति एवं महिलायें निर्भय होकर मतदान करने हेतु अपने घरों से निकल सकें। मतदाताओं द्वारा मतदान केंद्र पर जाकर स्वतंत्रतापूर्वक मतदान करने तथा सही सलामत घर वापस आ जाने, मतदान के पूर्व तथा बाद में क्षेत्र में कोई हिंसक झड़प नहीं होने तथा तनाव उत्पन्न नहीं होने-ये कुछ ऐसे मानक है जो निर्वाचन के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होने के लिये आवश्यक हैं। ऐसा माहौल एक-दो दिनों की कोशिश से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसके लिये समन्वित प्रयास एवं आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था करना आवश्यक है।

विधि-व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आम तौर पर निर्वाचन संबंधी प्रशासनिक तैयारियों को दो हिस्सों में बाँटकर देखा जा सकता है- पहला मतदान पूर्व की व्यवस्था एवं दूसरा मतदान तिथि के दिन की जाने वाली व्यवस्था। मतदान पूर्व की जानेवाली व्यवस्थाओं में लंबित वारंटों का क्रियान्वयन एवं फरारियों की गिरफ्तारी, संदिग्ध एवं आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों की धर-पकड़, उपद्रवियों एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन निरोधात्मक कार्रवाईयाँ, अवैध हथियारों का उद्भेदन, अनुज्ञप्ति प्राप्त शस्त्रों का भौतिक सत्यापन एवं आवश्यक समझे जाने पर उनकी जब्ती आदि जैसी कार्रवाईयाँ की जाती हैं, ताकि सामान्य मतदाता निर्भय होकर स्वतंत्रतापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सोच सके। मतदान तिथि को की जाने वाली व्यवस्थाओं में मतदान केंद्र पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, पूरे क्षेत्र में सघन गश्ती, वाहनों के परिचालन पर नियंत्रण तथा उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर इत्यादि कार्रवाईयाँ सम्मिलित हैं।

2. हाल में ही संपन्न लोकसभा निर्वाचन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्रवाई अवश्य की गई होगी। फिर भी जिस किसी बिन्दु पर भी आवश्यकता महसूस हो, पैक्स चुनावों की घोषणा होते ही नये सिरे से कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए-

(1) प्रत्येक पैक्स क्षेत्र के पुलिस थाना से संबंधित में नाम दर्ज ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए जिनके विरूद्ध विगत दो निकाय अथवा विधानसभा/लोकसभा निर्वाचनों के दौरान बूथ कब्जा, डराने-धमकाने, प्रतिरूपण करने आदि जैसे निर्वाचन अपराध दर्ज हैं तथा आरक्षी अधीक्षक द्वारा ऐसी सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए।

(2) पूर्व निर्वाचनों के समय दर्ज किए गए निर्वाचन अपराधों की जाँच पड़ताल एवं अभियोजन में तीव्रता लाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए तथा आरक्षी अधीक्षक द्वारा कृत कार्रवाई से जिला निर्वाचन पदाधिकारी को समय-समय पर अवगत कराया जाए।

(3) प्रत्येक थाने के हिस्ट्रीसीटर, भगोड़े एवं फरार अपराधियों की सूची को अद्यतन करने हेतु विशेष ड्राइव चलाया जाए तथा आरक्षी अधीक्षक द्वारा ऐसी सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए।

(4) सभी लंबित वारंटों एवं चालान का क्रियान्वयन तथा बिना तामिला कराए गए वारंटों का विवरण आरक्षी अधीक्षक द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाए।

(5) जिन वारंटियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, विशेष अभियान चलाकर उन्हें मतदान के पूर्व गिरफ्तार किया जाय।

(6) कुछ ऐसे मामले भी दृष्टिगोचर हो सकते हैं जहां अभ्यर्थियों का मनोबल गिराने के लिये उनपर या उनके संबंधियों पर हमला किया जाय। ऐसे मामलों में अविलंब अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाय ताकि वो वैसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं कर सकें।

(7) शस्त्रों एवं शस्त्र की दुकानों की अनुज्ञप्तियों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके भंडार संबंधी अभिलेख अद्यतन हैं तथा उनके पूर्व इतिहास, किसी अनियमितता में उनकी संलिप्तता आदि परिलक्षित होने पर विशेषत: चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में उनके क्रियाकलापों एवं व्यापार पर गहरी नजर रखी जाए।

(8) पैक्स क्षेत्र में सभी अनुज्ञप्तिधारियों, चाहे वे पैक्स के सदस्य हो अथवा नहीं, कि विस्तृत समीक्षा एवं आकलन अनुमंडल दण्डाधिकारी/जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्राधिकृत्त पदाधिकारी द्वारा की जाय एवं विधि-व्यवस्था के समुचित संधारण के लिये, आवश्यक समझे जाने पर कुछ मामलों में अनुज्ञप्तियों को परिबद्ध (impound) करने की कार्रवाई की जाय। ऐसे हथियार जिला प्राधिकारियों के पास जमा करा दिये जायेंगे। जमानत पर छूटे व्यक्तियों, आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों, किसी भी समय, विशेषत: निर्वाचन के दौरान दंगा/बलवा आदि घटनाओं में पूर्व से संलिप्त व्यक्तियों के मामलों में विशेष संवीक्षा (scrutiny) किये जाने की आवश्यकता है। वैसी संवीक्षा के पश्चात् चिह्नित किये गये अनुज्ञप्तिधारियों को अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि के एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपने शस्त्र को जिला प्रशासन के यहाँ जमा करने का निदेश दिया जाय। जिला प्रशासन द्वारा जमा कराये गये वैसे शस्त्रों को पुख्ता अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था की जायेगी। जमा कराये गये शस्त्रों को निर्वाचन परिणाम की घोषणा के एक सप्ताह बाद संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को निश्चित रूप से वापस कर दिया जाय।

(9) हत्या एवं अन्य गंभीर आपराधिक कार्यो में संलिप्त तथा आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों के शस्त्र जब्त करने तथा उनकी अनुज्ञप्तियाँ रद्द करने की कार्रवाई की जाय।

(10) देशी हरबे-हथियार बनाने वाले व्यक्तियों के ठिकानों पर लगातार छापामारी की जाय तथा उन्हें गिरफ्तार किया जाय। भूमिगत शस्त्र कारखानों पर भी नियमित रूप से पूरी गंभीरता एवं संघातिकता के साथ छापामारी की जाय।

(11) अवैध शराब बनाने वाले कारखानों का उद्भेदन करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए।

(12) उपद्रवी एवं शरारती तत्वों की पहचान कर उनके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की संगत धाराओं के अधीन निरोधात्मक कार्रवाई की जाय तथा बॉन्ड भराया जाय। उक्त संहिता की धारा 144 के अधीन नजायज मजमे लगाने तथा अस्त्र-शस्त्र धारित करने से संबंधित प्रतिबंधात्मक एवं निरोधात्मक आदेश भी लागू कर दिया जाय।

3. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने हेतु निम्नलिखित अन्य प्रशासनिक कार्रवाईयाँ भी अपेक्षित हैं-

मतदान के तीन दिन पूर्व

(1) उन ग्राम पंचायतों में, जो नेपाल अथवा अन्य राज्यों की सीमा पर अवस्थित हैं, मतदान की तिथि से तीन दिन पहले अत्यधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए।

(2) मतदान की तिथि से तीन दिन पहले से महत्वपूर्ण स्थानों पर चेक बैरियर लगाकर रात-दिन, जहाँ कहीं आवश्यक हो, आने-जाने वाहनों एवं व्यक्तियों की सघन जाँच की जाय ताकि कहीं से भी अवैध अस्त्र-शस्त्र अथवा असामाजिक तत्वों का प्रवेश निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हो पायें। वाहनों की ऐसी जाँच निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक जारी रखी जायेगी। दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर लिया जाय तथा संबंधित अस्त्र-शस्त्र को जब्त कर लिया जाय। प्रशासन के इस प्रयास से उपद्रवी तत्वों पर प्रभावकारी अंकुश लग सकेगा।

मतदान के दिन

(1) मतदान के दिन, जहाँ-जहाँ मतदान है, उन क्षेत्रों में स्कूटर/मोटरसाईकिल/तिपहिया/चार पहिया वाहनों एवं अवैध नौका रखने वाले निजी व्यक्तियों की कड़ी चेकिंग की जाय। जहाँ कहीं भी विधि-व्यवस्था के हित में आवश्यक समझा जाय, ऐसे वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित किया जाय। मोटरसाईकिल से पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस अधिकारी अथवा मोटरसाईकिल से मतदान केन्द्रों पर आवश्यक मतदान सामग्री ले जाने वाले प्राधिकृत पदाधिकारियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। सरकारी कर्त्तव्य पर तैनात केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के वाहनों, आवश्यक सेवाओं के संधारण हेतु प्रयुक्त किये गये वाहन, यथा अस्पताल के ऐम्बुलेंस, मिल्क वाहन, वाटर टैंक, विद्युत इमरजेन्सी वाहन इत्यादि के परिचालन पर कोई रोक नहीं रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें निर्धारित टर्मिनल एवं रूट पर चलती रहेंगी, किन्तु प्रशासन इस बात पर कड़ी नजर रखेगा कि इनका उपयोग अवांछित तत्वों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करने अथवा क्षेत्र से बाहर भागने हेतु न किया जा सके।

(2) आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर उनके पद अथवा प्रतिष्ठा से प्रभावित हुये बिना उपलब्ध वैधानिक उपबंधों के अधीन त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जाय। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराया जाना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने की दिशा में महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी कदम हो सकता है।

(3) हालाँकि यह सीमित सदस्यता वाले पैक्स संगठन का निर्वाचन है, फिर भी कई जगहों पर अभ्यर्थियों के बीच तगड़ा संघर्ष होने की संभावना है। किसी भी अवांछित घटना को रोकने हेतु जिला प्रशासन को वैसे तमाम भवनों में, जहाँ मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं, दण्डाधिकारी एवं पर्याप्त आरक्षी बल की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। चुनाव कर्त्तव्य पर भेजने के पूर्व सभी दण्डाधिकारियों/आरक्षी पदाधिकारियों/सशस्त्र बलों को उनकी जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्व से भली-भाँति अवगत करा दिया जाना चाहिए। उन्हें प्राधिकार अधिनियम के फौजदारी प्रावधानों से भी अवगत करा दिया जाना चाहिए। बूथ पर कब्जा होते समय वे मूक दर्शक नहीं बने रहे बल्कि आगे बढ़कर उपद्रवियों से लोहा ले। अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में की गई ऐसी प्रत्येक कार्रवाई को प्राधिकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।

(4) मतदान तिथि के दिन निर्वाचन पदाधिकारी नियंत्रण कक्ष में कम-से-कम समय बितायें तथा अपना अधिकांश समय निर्वाचन क्षेत्र में घूम-घूमकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में लगे तंत्र को सहयोग देने में व्यतीत करें। अपने भ्रमण के समय वे नियंत्रण कक्ष से भी संपर्क बनाये रखेंगे तथा प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करेंगे।

(5) संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित दण्डाधिकारी नियुक्त किये जायें। दण्डाधिकारी हमेशा भ्रमणशील रहें एवं किसी भी समस्या से निपटन के लिये प्रभावकारी कदम उठायें। कर्त्तव्य निर्वहन में कोताही बरतने वाले दण्डाधिकारियों के विरूद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाय। जिला दण्डाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक संयुक्त रूप से ऐसी योजना (strategy) बनायें कि दण्डाधिकारियों/सशस्त्र बलों की अवस्थिति एवं गतिविधि (movement) आदि की पूरी जानकारी उन्हें उपलब्ध होती रहे।

(6) मतदान तिथि को मतदान केन्द्र से दो सौ मीटर की दूरी की परिधि में कोई दुकान, प्रतिष्ठान आदि मतदान अवधि के दौरान खुला नहीं रखा जायेगा। असामाजिक तत्व अक्सर ऐसे ही स्थानों में अपना अड्डा जमाने की फिराक में रहते हैं।

(7) मतदान तिथि के दिन मतदान केंद्र के भीतर, पीठासीन पदाधिकारी को छोड़कर, अन्य किसी मतदान कर्मी अथवा मतदान अभिकर्त्ता/निर्वाचन अभिकर्त्ता/अभ्यर्थी को मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पीठासीन पदाधिकारी भी मतदान के समय अपने मोबाईल को स्वीच ऑफ मोड में रखेंगे, ताकि बाहर से कोई संदेश वे प्राप्त नहीं कर सकें। विधि-व्यवस्था हेतु अथवा निर्वाचन पदाधिकारी से संवाद स्थापित करने की आवश्यकता होने पर वे अपने मोबाईल फोन का उपयोग कर सकते हैं।

(8) मतदान तिथि को मतदान केंद्र के निकट चुनाव कार्य करने (Electioneering) पर प्रतिबंध लगाने तथा मतों की गणना के समय मतगणना केंद्रों पर विधि-व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को सेल्यूलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि के साथ मतदान केंद्र के समीप(100 मीटर की परिधि के अंतर्गत) जाने अथवा उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उसी प्रकार मतगणना केंद्र के अंदर एवं बाहर के क्षेत्र अथवा उस क्षेत्र में, जिसे सुरक्षा बलों द्वारा मतगणना केंद्र/हॉल में व्यक्तियों के प्रवेश हेतु अपने घेरे में रखा गया है, किसी व्यक्ति को वैसे उपकरण ले जाने अथवा उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अगर इन निदेशों के विपरीत किसी व्यक्ति के पास वैसे उपकरण पाये जाते हैं, तो सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी द्वारा उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जायेगा तथा मतों की गणना पूरी हो जाने एवं परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् ही संबंधित व्यक्ति को लौटाया जायेगा। ये निदेश विधि-व्यवस्था के संधारण एवं सुरक्षा कार्य हेतु मतदान केंद्र/मतगणना केंद्र में/के निकट प्रतिनियुक्त वैसे व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं होंगे, जो वैसे उपकरणों का उपयोग अपने सरकारी दायित्वों के निर्वहन के दौरान करते हो। उसी प्रकार ये निदेश प्राधिकार द्वारा नियुक्त प्रेक्षक एवं मतदान कर्त्तव्य तथा मतगणना कर्त्तव्य के प्रभारी पदाधिकारी पर भी लागू नहीं होंगे।

5. एक जिले में मतदान केन्द्रों की संख्या उस जिले के अधीन पड़ने वाले ग्राम पंचायतों की संख्या से मात्र कुछ ही अधिक होगी। प्राधिकार का निदेश है कि अगर पैक्स का कार्यालय किसी निजी भवन में नहीं है, तो मतदान केन्द्र पैक्स के कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। अगर पैक्स का कार्यालय किसी निजी भवन में चल रहा है, तब मतदान केन्द्र किसी सार्वजनिक भवन में स्थापित किया जाएगा। अत: निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही संवेदनशील एवं उपद्रवोन्मुख क्षेत्र की पहचान कर लेना भी आवश्यक है ताकि मतदान के समय गंभीर तथा अप्रिय वारदातों को घटित होने से रोका जा सके। ऐसे क्षेत्रों/मतदान केंद्रो की पहचान करने में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए-

(i) पिछले किसी भी निर्वाचन के समय निर्वाचन क्षेत्र अथवा मतदान केन्द्र(अगर उस भवन का उपयोग मतदान केन्द्र के रूप में किया गया था)का पूर्व इतिहास ;

(ii) पिछले निर्वाचनों में बूथ कब्जा, व्यापक पैमाने पर प्रतिरूपण आदि की घटनाएं ;

(iii) किसी विशेष क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की असामान्य स्थिति से संबंधित सूचना;

(iv) अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा लगाए गए विशिष्ट आरोप;

(v) अभ्यर्थियों की स्थिति (status) को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता (contest) की प्रकृति;

(vi) अभ्यर्थियों की राजनीतिक संबद्धता एवं प्रतिद्वन्दिता, अगर कोई हो;

(vii) निर्वाचन क्षेत्र में हिस्ट्रीसीटर एवं भगोड़े अपराधियों की संख्या;

(viii) निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या।

जिला दण्डाधिकारी तथा आरक्षी अधीक्षक को समन्वित रूप से ऐसे उपद्रवोन्मुख क्षेत्र की पहचान करनी चाहिये। जिला प्रशासन द्वारा रूटीन रूप में प्रत्येक मतदान केन्द्र को संवेदनशील घोषित किये जाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मतदान केन्द्रों के नाम आपके पास पूर्व से ही उपलब्ध हैं। किसी क्षेत्र/मतदान केंद्र की संवेदनशीलता की पहचान अत्यंत सतर्कता एवं सूक्ष्मतापूर्वक उन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए जो उसे वस्तुत: संवेदनशील बनाते हैं।

6. प्राधिकार को आशा है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त निदेशों का सम्यक अनुपालन किये जाने पर पैक्स निर्वाचन हिंसारहित एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने में काफी आसानी होगी।

7. प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों का स्थानीय मीडिया में भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

ह०/-
(एन० एस० माधवन)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक: 402 /पटना, दिनांक 22 मई, 2009

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0)/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी नोडल पदाधिकारी/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी निर्वाचन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक- 402 /पटना, दिनांक 22 मई, 2009

प्रतिलिपि :-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी